

**प्रेस विज्ञप्ति**

**कोविड-19 के दौरान स्कूल बंद रहने पर कम आय वाले परिवारों के लिए शिक्षा सुविधा पर आईआईएमए केएमआईसी का एक शोध अध्ययन : अहमदाबाद का केस**

**December 17, 2020 | Ahmedabad**

शहरी अहमदाबाद में रहने वाले 375 निम्न आय वाले माता-पिता का सर्वेक्षण जुलाई से सितंबर 2020 के बीच रिमोट शिक्षा और सामग्री की पहुंच, और माता-पिता और उनके बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने और शिक्षा से संबंधित उनके फैसलों को सामने लाने के लिए किया गया था।

**मुख्य निष्कर्ष**

1. निम्न आय वाले परिवारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है- लगभग 85% घरों में काम पर जाना फिर से शुरू हो गया था और उनमें से 75% से अधिक की मजदूरी/वेतन पहले के मुक़ाबले घट चुका था।
2. मार्च 2020 के बाद से सभी बच्चों में से लगभग 30% ने किसी भी शिक्षा की औपचारिक गतिविधियों में भाग नहीं लिया था। इसमें नियमित रूप से निजी स्कूल में जाने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा थी (33%), इसके बाद सरकारी स्कूलों में जाने वाले बच्चे (26%) और उसके बाद निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम वाले के बच्चे (22%) थे। इन छात्रों को अपनी पढ़ाई में एक लंबे व्यवधान का सामना करना पड़ा है और उन्हें स्कूल वापस लाने पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए।
3. रिमोट शिक्षा की सुविधा देने वाले उपकरणों और संसाधनों की दुर्गमता बहुत बड़ी चुनौती है- 60% से कम घरों में 4 जी सुविधा वाले स्मार्टफोन की पहुंच थी। हाई-स्पीड इंटरनेट रिचार्ज और कई बच्चों के लिए एक से अधिक उपकरण की आवश्यकता ने एक बड़ी आबादी के लिए शिक्षा को उनकी पहुँच से बाहर कर दिया है।
4. शिक्षकों/शिक्षिकाओं के साथ सीखने और बातचीत करने का अधिकांश हिस्सा एक तरफ़ा है। स्कूल की गतिविधियों में भाग लेने वाले बच्चों में, लगभग 30% बच्चों के पास किसी भी प्रश्न या चिंताओं के लिए शिक्षकों/शिक्षिकाओं तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। सरकारी स्कूलों में जाने लेने वाले बच्चों के माता-पिता ने शिक्षक और शिक्षिकाओं द्वारा घरों के दौरे में असाइनमेंट और सामग्री मिलने के बारे में बताया (15%) , उनकी तुलना में निजी स्कूलों में जाने वाले शिक्षा का अधिकार अधिनियम वाले बच्चे (8%) और नियमित रूप से निजी स्कूलों में भाग जाने वाले बच्चे (4%) कम थे।
5. स्कूलों में शिक्षा का सबसे लोकप्रिय साधन जो कारगर रहा है वह फोन के माध्यम से असाइनमेंट और अन्य कार्यपत्रकों को साझा करना है। 70% से अधिक बच्चों को फोन मैसेज के माध्यम से असाइनमेंट मिले, जबकि लगभग 30% ने कक्षाओं की लाइव स्ट्रीमिंग में भाग लिया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से निजी स्कूलों में जाने वाले बच्चों के माता-पिता ने कक्षाओं की लाइव स्ट्रीमिंग का उल्लेख किया (36%), इसके बाद निजी स्कूलों में नियमित रूप से दाखिल बच्चों के माता-पिता ने (33%), और उसके बाद सरकारी स्कूलों, जो मिश्रित प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, के बच्चों के माता-पिता ने (22%)।
6. सरकार के लगातार प्रयासों के बावजूद, माता-पिता के लिए स्कूल बंद होने के दौरान मध्याह्न भोजन योजना का लाभ लेना मुश्किल रहा है। अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने वाले 85% माता-पिता ने बताया कि वे मध्याह्न भोजन के बदले में कोई लाभ प्राप्त करने में असमर्थ थे। कई अभिभावकों ने बताया कि उन्हें लॉकडाउन के दौरान स्कूल जाकर खाद्यान्न लेने के लिए बुलाया गया, जिसमें वह असमर्थ रहे।
7. कई अभिभावकों को निजी स्कूलों में फ़ीस भरने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। माता-पिता को अस्थायी राहत प्रदान करने वाले सरकारी आदेशों के बावजूद, निजी स्कूलों में नामांकित आधे से अधिक बच्चों के माता-पिता को लंबित फीस का भुगतान करने के लिए कहा गया था। जिन लोगों को यह मुश्किल लगा, उनमें से लगभग आधे ने बताया कि स्कूलों ने स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र जारी करने से इनकार कर दिया था।
8. फ़ीस/शुल्क का भुगतान करने में असमर्थता ने कुछ माता-पिता को अन्य स्कूलों में स्थानांतरण के विकल्पों पर विचार करने या यहां तक लिए मजबूर कर दिया है।

**सुझाव**

हमारा सुझाव है कि राज्य और जिले के शिक्षा विभाग निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें:

1. नए आदेशों और सूचनाओं, दूरस्थ शिक्षा उपकरणों के बारे में जानकारी के साथ माता-पिता की सहायता के लिए हेल्पलाइन स्थापित करना, और उन माता-पिता को परामर्श प्रदान करना जो अपने बच्चों को स्कूल से बाहर निकालने का विचार कर रहे हैं और उन्हें विकल्प प्रदान करना (जैसे- पास के सरकारी स्कूल या ओपन स्कूल केंद्र का विवरण प्रदान करना)।
2. सालभर सरकारी स्कूलों में नामांकन को आसान बनाना, और उन अभिभावकों के लिए स्कूल बदलने को आसान बनाना जो निजी स्कूलों से स्कूल छोड़ने / स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने में असमर्थ हैं।
3. शिक्षकों और अभिभावकों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना, उन्हें ऑनलाइन शिक्षण के लिए तैयार करना। कम शुल्क/फ़ीस वाले स्कूलों, जिसमें ऐसे प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बुनियादी सुविधाओं और क्षमता की कमी है, में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण वीडियो और सामग्री उपलब्ध करवाई जा सकती हैं।
4. शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) प्रावधान (25% जनादेश) के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 3000 रुपये के ट्रांसफर को सुनिश्चित करना। निजी स्कूलों को समय पर प्रतिपूर्ति देना, जिससे माता-पिता और स्कूल के स्टाफ का वित्तीय बोझ को कम हो (उन्होंने वेतन कटौती का सामना किया है)।
5. स्थान, कक्षा में बच्चों की संख्या, स्कूल के बुनियादी ढांचे, और अन्य घटकों के आधार पर कक्षा के तौर-तरीके, समय-निर्धारण और स्कूलों को फिर से खोलने के लिए एसओपी / दिशानिर्देशों जारी करने के लिए स्कूल प्रशासकों और स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) को स्वायत्तता प्रदान करना।

पूरी रिपोर्ट इस लिंक पर उपलब्ध है: <https://drive.google.com/file/d/1WjT95ighPZggWv-AnCRrvhoO6koK4KhJ/view>

**आईआईएमए के बारे में :**

भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद (आईआईएमए) एशिया प्रशांत क्षेत्र का एक प्रमुख बी-स्कूल है। विश्व स्तर पर, संस्थान के कार्यक्रमों ने उच्च प्रतिष्ठा अर्जित की है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इक्विस की मान्यता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संस्थान बन गया है। 1961 में ज्ञान के अनुप्रयोग के माध्यम से विकास के लिए एक अद्वितीय सार्वजनिक-निजी साझेदारी के रूप में स्थापित संस्थान की, आज विदेशी धरती दुबई में उपस्थिति है और 80 से अधिक विदेशी बी-स्कूलों के साथ सहयोगी हैं, जो अकादमिक रूप से बेहतर, बाजार-संचालित और सामाजिक रूप से प्रभावशाली कार्यक्रमों, अनुसंधान और परामर्श सेवाओं की पेशकश करते हैं। वर्ष 2018 में, आईआईएमए ने सभी भारतीय बी-स्कूलों से आगे फाइनेंशियल टाइम्स (एफ़टी) एशिया पैसिफिक शीर्ष 25 बिजनेस स्कूल रैंक में चौथे स्थान पर अपना स्थान बनाया। एफ़टी ने सभी बी-स्कूलों के कार्यक्रमों की गुणवत्ता और लाभ पर विचार करने के बाद रैंकिंग का संचालन किया। पिछले कई वर्षों में, आईआईएमए प्रतिष्ठित इकोनॉमिस्ट रैंकिंग में स्थान पाने वाला एकमात्र भारतीय बी-स्कूल है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी भारत रैंकिंग 2020 एनआईआरएफ़ (नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क) में प्रथम नंबर के स्थान पर उभरा है।

इन वर्षों में, आईआईएमए ने 38,000 से अधिक पूर्वछात्रों को लाभान्वित किया है जिन्होंने अपने विभिन्न कार्यक्रमों से स्नातक किया है। वर्तमान में, अपने प्रसिद्ध प्रमुख कार्यक्रम दो-वर्षीय व्यवसाय प्रबंधन में मास्टर (एमबीए), जिसे पहले स्नातकोत्तर प्रबंधन कार्यक्रम (पीजीपी) के रूप में जाना जाता था उसके अलावा; संस्थान ने अपने प्रबंधन में पीएचडी कार्यक्रम, खाद्य एवं कृषिव्यवसाय प्रबंधन में एमबीए (एफ़एबीएम), एमबीए-पीजीपीएक्स (कार्यकारी के लिए प्रबंधन में एक वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर कार्यक्रम), संकाय विकास कार्यक्रम (एफ़डीपी), सशस्त्र सेना बल कार्यक्रम (एएफ़पी), ई-स्नातकोत्तर कार्यक्रम (ईपीजीपी), उन्नत व्यवसाय विश्लेषिकी में ई-स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम (ईपीजीडी-एएबीए) में शीर्ष गुणवत्ता वाले छात्रों को आकर्षित करना जारी रखा है और अपने लघु अवधि के कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से उद्योग के पेशेवरों को लाभ पहुंचाता रहा है।

**मीडिया प्रश्नों के लिए, कृपया संपर्क करें :**

मिताली नायडू

कार्यकारी, जनसंपर्क

फोन : (सेल) +91-7069074816, (कार्यालय) +91-79-71524684,

ईमेल : [pr@iima.ac.in](mailto:pr@iima.ac.in)